न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारीः—नेहा छीपा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—10 / 2023 (2023 / 37) प्रार्थना पत्र

अनवान

1. अनीता पुत्री संतोकनाथ नाबाबे माता कमलादेवी कालबेलिया निवासी नान्दशा तहसील रायपुर
2. कमला पुत्री डुगंरनाथ कालबेलिया निवासी नान्दशा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. कमलादेवी पत्नि संतोकनाथ कालबेलिया निवासी नान्दशा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. कलानाथ पिता डुगंरनाथ कालबेलिया निवासी नान्दशा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. कानुड़ी पुत्री संतोक नाबाबे माता कमलादेवी कालबेलिया निवासी नान्दशा तहसील रायपुर
6. गोपीनाथ पिता डुगंरनाथ कालबेलिया निवासी नान्दशा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. नेनु पुत्री डुंगरनाथ कालबेलिया निवासी नान्दशा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8. नारूनाथ पिता अनोपनाथ कालबेलिया निवासी नान्दशा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9. नारायणनाथ पिता संतोकनाथ कालबेलिया निवासी नान्दशा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
10. पिन्टु पुत्री संतोकनाथ नाबाबे माता कमलादेवी कालबेलिया निवासी नान्दशा तहसील रायपुर
11. मुमल पुत्री डुगंरनाथ कालबेलिया निवासी नान्दशा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
12. श्रवणनाथ पिता डुगंरनाथ कालबेलिया निवासी नान्दशा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
13. सुगना पुत्री डुगंरनाथ कालबेलिया निवासी नान्दशा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
14. सुरमनाथ पिता डुगंरनाथ कालबेलिया निवासी नान्दशा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीगण

बनाम

1. जनककंवर पत्नि भैरूसिंह राजपूत निवासी नान्दशा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. नन्दकंवर पत्नि शम्भुसिंह राजपूत निवासी नान्दशा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. अनाड़ीनाथ पिता देवनाथ कालबेलिया निवासी नान्दशा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. गौरी पत्नि देवनाथ कालबेलिया निवासी नान्दशा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. नाथुनाथ पिता देवनाथ कालबेलिया निवासी नान्दशा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. मुकेशनाथ पिता मोहननाथ कालबेलिया निवासी नान्दशा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. मांगुनाथ पिता देवनाथ कालबेलिया निवासी नान्दशा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8. शारदा पुत्री देवनाथ कालबेलिया निवासी नान्दशा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9. सुगना पुत्री देवनाथ कालबेलिया निवासी नान्दशा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
10. गंगादेवी पत्नि मोहननाथ कालबेलिया निवासी नान्दशा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
11. मोहननाथ पिता केलानाथ कालबेलिया निवासी नान्दशा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

उपस्थित

1. पूनम नाथ सपेरा — प्रार्थीगण अधिवक्ता

Signature Not Verified
Digitally signed by Neha Chhipa
Date: 2023.06.15 16:05:14 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय

दिनांक 04.04.2023

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप मे [illegible] नान्दशा पटवार हल्का नान्दशा तहसील रायुपर के बेरूनी [illegible] के अधिकार एवं [illegible] की आराजी संख्या 161 रकबा 0.58 है0 भूमि खाता संख्या 794 पर दर्ज होकर स्थित [illegible] इसी प्रकार आराजी संख्या 160 रकबा 0.40 है0, आराजी संख्या 162 रकबा 0.04 है0, आराजी संख्या 163 रकबा 0.49 है0, आराजी संख्या 164 रकबा 0.01 है0, आराजी संख्या 165 रकबा 0.10 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 1.04 है0 भूमि राजस्व खाता संख्या 696 पर

दर्ज होकर स्थित है। प्रमाण में नकल जमाबंदी मय नक्शा ट्रेस प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की हैं। प्रार्थीगण की उक्त आराजियात के चारों तरफ सीमा के मुश्तकील निशानात नही होने से प्रार्थीगण को काश्त करने, काश्त लाभ प्राप्त करने, घास आदि काटने व मवेशी चराने में दरम्यान पक्षकारान आपस मे सीमा सम्बन्धी विवाद बना रहता है जिससे प्रार्थीगण को अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना आवश्यक हो गया है। प्रार्थीगण ने विपक्षीगण को कई मर्तबा को उक्त आराजी की पत्थरगढ़ी कराने बाबत् कहा लेकिन विपक्षीगण हरबार टालमबाजी का जवाब देते है। प्रार्थीगण ने दिनांक 25.12.2022 को विपक्षीगण को अन्तिम बार कहा लेकिन विपक्षीगण इन्कार हो गये, जिससे प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु विवश होना पड़ा है। अतः प्रार्थीगण की सादर प्रार्थना है कि उक्त वर्णित आराजियात की पत्थरगढ़ी कराये जाने का आदेश तहसीलदार रायपुर के नाम प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को इस न्यायालय मे दिनांक 18.01.2023 को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को वजह जारी करने हेतु नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना मे विपक्षी संख्या 1 लगायत 2, 6, 10 लगायत 11 बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से एकतरफा कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया एवं विपक्षी संख्या 3 लगायत 4 व 7 लगायत 9 की अदम तामिल होने से प्रार्थीगण अधिवक्ता उनके विरूद्व कोई कार्यवाही नही चाहते है। प्रार्थीगण खातेदार है और खातेदार अपनी आराजी की पत्थरगढ़ी करवाने के लिये स्वतंत्र है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख मे किसी प्रकार का कोई परिवर्तन हाने का कोई अन्देशा नही है तथा न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते है। प्रार्थीगण खातेदार होकर अपनी आराजियात की पत्थरगढ़ी कराना चाहते है जिसमें अगर कोई विपक्षी ऐतराज भी करता है तो कानुनन स्वीकार योग्य नही है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि राजस्व ग्राम नान्दशा पटवार हल्का नान्दशा तहसील रायुपर के बेरून हल्का आबादी मे प्रार्थीगण के अधिकार एवं कब्जे की आराजी संख्या 161 रकबा 0.58 है0 भूमि खाता संख्या 794 पर दर्ज होकर स्थित है। इसी प्रकार आराजी संख्या 160 रकबा 0.40 है0, आराजी संख्या 162 रकबा 0.04 है0, आराजी संख्या 163 रकबा 0.49 है0, आराजी संख्या 164 रकबा 0.01 है0, आराजी संख्या 165 रकबा 0.10 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 1.04 है0 भूमि राजस्व खाता संख्या 696 पर दर्ज होकर स्थित है। जिसकी पत्थरगढ़ी कराये जाने हेतु सम्बधित भू–अभिलेख निरीक्षक को कमिश्नर नियुक्त कर आदेशित किया जाता है कि इस हेतु प्रार्थीगण द्वारा पत्थरगढ़ी शुल्क 200/–रूपये राजकोष में जमा एवं कमिश्नर फीस 500/–रूपये जमा होने पर उक्त आराजी की प[illegible]क्षकारान को सूचित करते हुए बशामलात पक्षकारान के करायी जावें। खर्चा राशि [illegible] पर तहसीलदार रायपुर कमिश्नर से विधिवत् पत्थरगढी करावे [illegible] से कम हो। रजिस्टर मे दाखला अंकित किया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Neha Chhipa
Date: 2023.06.15 16:05:14 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 04.04.2023 को मेरे द्वारा [illegible]खाया जाकर सुनाया गया।

(नेहा छीपा)
उपखण्ड अधिकारी
रायपुर जिला भीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी—नेहा छीपा, आर.ए.एस.

[illegible] 2023 [illegible]

[illegible]

1. [illegible] पुत्री [illegible] नाबालिग जरिए माता कमलादेवी कालबेलिया निवासी नान्दशा तहसील रायपुर
2. कमला पुत्री हुलासनाथ कालबेलिया निवासी नान्दशा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. कमलादेवी पत्नि [illegible]नाथ कालबेलिया निवासी नान्दशा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. [illegible]नाथ पिता हुलासनाथ कालबेलिया निवासी नान्दशा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. [illegible] पुत्री [illegible] नाबालिग जरिए माता कमलादेवी कालबेलिया निवासी नान्दशा तहसील रायपुर
6. [illegible]नाथ पिता हुलासनाथ कालबेलिया निवासी नान्दशा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. [illegible] पुत्री हुलासनाथ कालबेलिया निवासी नान्दशा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8. [illegible]नाथ पिता [illegible]नाथ कालबेलिया निवासी नान्दशा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9. [illegible]नाथ पिता [illegible]नाथ कालबेलिया निवासी नान्दशा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
10. [illegible] पुत्री [illegible]नाथ नाबालिग जरिए माता कमलादेवी कालबेलिया निवासी नान्दशा तहसील रायपुर
11. [illegible] पुत्री हुलासनाथ कालबेलिया निवासी नान्दशा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
12. [illegible]नाथ पिता हुलासनाथ कालबेलिया निवासी नान्दशा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
13. [illegible] पुत्री हुलासनाथ कालबेलिया निवासी नान्दशा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
14. [illegible]नाथ पिता हुलासनाथ कालबेलिया निवासी नान्दशा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीगण

बनाम

1. [illegible]कंवर पत्नि [illegible]सिंह राजपूत निवासी नान्दशा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. नन्दकंवर पत्नि [illegible]सिंह राजपूत निवासी नान्दशा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. कन्हैयानाथ पिता देवनाथ कालबेलिया निवासी नान्दशा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. गौरी पत्नि देवनाथ कालबेलिया निवासी नान्दशा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. नाथुनाथ पिता देवनाथ कालबेलिया निवासी नान्दशा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. मुकेशनाथ पिता मोहननाथ कालबेलिया निवासी नान्दशा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. मंगुनाथ पिता देवनाथ कालबेलिया निवासी नान्दशा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8. शारदा पुत्री देवनाथ कालबेलिया निवासी नान्दशा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9. सुगना पुत्री देवनाथ कालबेलिया निवासी नान्दशा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
10. गंगादेवी पत्नि मोहननाथ कालबेलिया निवासी नान्दशा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
11. मोहननाथ पिता केलानाथ कालबेलिया निवासी [illegible] जिला भीलवाड़ा

अप्रार्थीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Neha Chhipa
Date: 2023.06.15 16:05:14 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 11[illegible] 128 [illegible]

प्रेषित :—तहसीलदार रायपुर हुक्मनामा पत्थरगढ़ी कराने बाबत्

उपरोक्त अनवान के प्रकरण में प्रार्थी के द्वारा अपनी आराजियात की पत्थरगढ़ी कराने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जिसे दर्ज रजिस्टर किया जाने पर दिनांक 04.04.2023 को स्वीकार किया गया उक्त प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ में आपको आदेश दिया

जाता है कि ग्राम नान्दशा पटवार हल्का नान्दशा तहसील रायुपर के बेरून हल्का आबादी मे प्रार्थीगण के अधिकार एवं कब्जे की आराजी संख्या 161 रकबा 0.58 है0 भूमि खाता संख्या 794 पर दर्ज होकर स्थित है। इसी प्रकार आराजी संख्या 160 रकबा 0.40 है0, आराजी संख्या 162 रकबा 0.04 है0, आराजी संख्या 163 रकबा 0.49 है0, आराजी संख्या 164 रकबा 0.01 है0, आराजी संख्या 165 रकबा 0.10 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 1.04 है0 भूमि राजस्व खाता संख्या 696 पर दर्ज होकर स्थित है।

इस हेतु प्रार्थीगण द्वारा पत्थरगढ़ी शुल्क 200/–रूपये राजकोष में जमा एवं कमिश्नर फीस 500/–रूपये सम्बधित भू–अभिलेख निरीक्षक के पास जमा होने पर उक्त आराजी की पत्थरगढी पक्षकारान को सूचित करते हुए बशामलात पक्षकारान के करायी जावें।

मौके पर दौराने पत्थरगढ़ी अगर प्रार्थीगण की आराजियात पर विपक्षी या अन्य का कब्जा पाया जाता है तो बिना कब्जे में दखल दिये उसको नजरी नक्षा एवं ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाते हुए पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका के प्रस्तुत करें।

हुक्मनामा आज दिनांक 04.04.2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी किया गया।

(नेहा छीपा)
उपखण्ड अधिकारी
रायपुर, जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Neha Chhipa
Date: 2023.06.15 16:05:14 IST
Reason: SelfAttested